### <u>न्यायालय</u>— सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला–बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—33 / 2014 संस्थित दिनांक—13.01.2014 फाईलिंग क. 234503003602014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र–परसवाड़ा	
जिला–बालाघाट (म.प्र.) 🗡 🔎 – – –	 <u>अभियोजन</u>
/ <u>  विक्त</u> द	

अंकलेश उर्फ अशोक ब्रम्हे पिता लखनलाल ब्रम्हे, उम्र—24 वर्ष, निवासी—ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट (म.प्र.) — — — — — —

### // निर्णय //

# <u>(आज दिनांक-08/10/2015 को घोषित)</u>

1— आरोपी के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 323 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—28.12.2013 को रात 8:00 बजे ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी देवराज को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित करते हुए उसे लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहित कारित की।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—28.12.2013 को फरियादी देवराज डी.सी.ए. का पेपर देकर बैहर से वापस अपने घर ग्राम कुरेण्डा आ रहा था, तभी ग्राम कुरेण्डा के पास रोड़ में उसकी मोटरसाईकिल से गांव के नीलमचंद ब्रम्हे का एक्सीडेन्ट हो गया था, तब उसे गांव के अंकलेश ब्रम्हे ने रोककर, नीलम का एक्सीडेन्ट कर उसे चोट पहुंचाया है कहकर लकड़ी से मारपीट किया, जिससे उसके सिर पर, दाहिने हाथ, कलाई व पैर में चोट आई थी। उक्त घटना की रिपोर्ट उसके द्वारा थाना परसवाड़ा में की गई। जिस पर पुलिस थाना परसवाड़ा द्वारा आरोपी अंकलेश के विरुद्ध अपराध कमांक—95/13, धारा—341, 323, भा.द.वि. के अपराध के अंतर्गत रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आहत देवराज का चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया। विवेचना के दौरान घटना स्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया तथा घटना स्थल से घटना में प्रयुक्त लकड़ी जप्त की गई तथा गवाहों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में

पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341, 323 के अंतर्गत अपराध विवरण की विशिष्टियां पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वंय को निर्दोष होना एवं झूठा फंसाया गया होना बताया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

### 4— <u>प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि</u>:—

- 1. क्या आरोपी ने दिनांक—28.12.2013 को रात 8:00 बजे ग्राम कुरेण्डा, थाना परसवाड़ा अंतर्गत फरियादी देवराज को निश्चित दिशा में जाने से रोककर सदोष अवरोध कारित?
- 2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, घटना, समय व स्थान पर आहत देवराज को लकड़ी से मारकर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

## विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- 5— फरियादी / आहत देवराज (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह अपनी मोटरसाईकिल से बैहर जा रहा था, तो उसकी मोटरसाईकल का एक्सीडेन्ट हो गया। जब वह अपनी मोटरसाईकिल को उठाने जा रहा था, तो आरोपी अंकलेश ने लकड़ी से उसके सिर पर मार दिया था, जिससे उसे चोट आई थी। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—1, थाना परसवाड़ा में लेख कराई थी। पुलिस ने शासकीय अस्पताल परसवाड़ा में उसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया था। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने अपने पुलिस कथन एवं रिपोर्ट के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिस पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
- 6— इन्दलसिंह मर्सकोले (अ.सा.2) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के बाद उसे फोन पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि आहत देवराज दुर्घटना में गिर गया है और आरोपी अंकलेश ने उसे लकड़ी से मारकर चोट पहुंचाया था। इस प्रकार साक्षी ने मात्र अनुश्रुत साक्षी के रूप में अभियोजन का समर्थन किया है। इसी प्रकार अन्य साक्षी सुनीताबाई (अ.सा.4) ने भी आहत देवराज के बताने पर घटना की जानकारी दी है। इस

साक्षी ने भी अनुश्रुत साक्षी के रूप में अपने कथन किये हैं।

- अनुसंधानकर्ता अधिकारी कुंजन तेकाम (अ.सा.3) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-29.12.13 को थाना परसवाडा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को सूचनाकर्ता देवराज उइके की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपी अंकलेश ब्रम्हे के विरूद्ध में प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-95 / 13, धारा-341, 323 भा.द.वि. के तहत लेख किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आहत देवराज को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल परसवाड़ा भेजा था। उक्त अपराध क्रमांक की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक-02.01.14 को प्रार्थी देवराज की निशानदेही पर घटनास्थल का नजरीनक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी देवराज उइके के कथन उसके बताए अनुसार लेख किया था एवं दिनांक-28.12.13 को साक्षी इन्दल सिंह एवं दिनांक-28.01.14 को साक्षी सुनीता बाई के कथन उनके बताए अनुसार लेख किया था। दिनांक-07.01.14 को आरोपी अंकलेश ब्रम्हे से साक्षियों के समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार एक लकड़ी जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही आरोपी को साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-4 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के कथन का प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं हुआ है। साक्षी ने मामले में की गई संपूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।
- 8— प्रकरण में अभियोजन की ओर से फरियादी/आहत देवराज ने अभियोजन मामलें का समर्थन करते हुए उसके द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है।
- 9— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। अभियोजन की ओर से एकमात्र चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में स्वयं आहत देवराज (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में उसके द्वारा लिखाई रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 व पुलिस कथन के अनुरूप कथन पेश किया है। साक्षी के कथन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि आरोपी ने उसे लकड़ी से सिर पर मारकर उपहति कारित की थी। इस प्रकार

अभियोजन की ओर से इस तथ्य को संदेह से परे प्रमाणित किया गया है कि घटना के समय आहत देवराज को आरोपी के द्वारा लकड़ी से उसके सिर पर मारकर उसे साधारण उपहित कारित की गई थी।

- 10— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्य व परिस्थित से स्पष्ट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत देवराज को लकड़ी से प्रहार करते समय उसके पास उक्त प्रयुक्त साधन से आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को उपहित कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया उपहित की श्रेणी में आता है।
- 11— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी ने आहत देवराज को लकड़ी से सिर में मारकर स्वेच्छया उपहित कारित किया। अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने फरियादी देवराज का रास्ता रोककर उसे सदोष अवरोध कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—341 के अपराध से दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—323 के अपराध के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।
- 12— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।
- 13— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है, उसके द्वारा मामले में वर्ष 2013 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा वह प्रकरण में नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दिण्डत कर छोड़ा जावे।
- 14— मामले में आरोपी के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि का कोई प्रमाण पेश नहीं किया गया है। मामले में आरोपी और फरियादी के आपसी विवाद को लेकर घटना के समय आरोपी ने आहत देवराज को लकड़ी से मारकर साधारण उपहित पहुंचायी है। मामले की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड

से दण्डित किये जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–323 के अपराध के अंतर्गत 1000 / –(एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में आरोपी को एक माह का सादा कारावास भुगताया जावे।

आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते है। 15-

मामले में आरोपी अभिरक्षा में नहीं रहा है। उक्त के संबंध में पृथक से 16-धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र तैयार किया जाये।

प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि 17-पश्चात् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

.**रा**रे .मजि.प्र.श्रे जिला–बार (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,